सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

छगनलाल बनाम परसाराम

प्रा० पत्र 92/2021

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनाक...25/6/24 ...को पेश हो।

25/6/24 पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने आवेदन अन्तर्गत 212 के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजीयात खसरा न० 37, 118, 155, व 167 वाके ग्राम फूलीपुरा, पटवार हल्का फूलीपुरा तहसील धोद तथा खसरा न० 182 वाके ग्राम गुनाठू तहसील धोद मे अवस्थित है। उपरोक्त भूमियो का प्रारम्भिक सेट विलासीराम जी के, जिसके उत्तराधिकारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 है। कथित कृषिभूमिया विलासीराम से गणपत को हिन्दु उत्तराधिकार की धारा-8 के अनुसार न्यायगत हुई थी, गणपत की मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमियो का विरासत का नामान्तरण उनके पुत्र क्रमशः नारायण, रामेश्वर एवं मोहन के हक मे खोल दिया गया। तीनो पुत्र 1/3-1/3 हिस्से के शुमुल्त खातेदार काश्तकार हो गये। गणपत की मृत्यु के पश्चात नारायण को जो सम्पति प्राप्त हुई वो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 मे न्यागत होकर उसकी स्वार्जित सम्पति थी। नारायण पुत्र गणपत ने अपने जीवन काल मे ही अपने दो पुत्र छगनलाल व विनोद (वादीगण) के हक मे एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपनी भूमि खसरा नम्बर 37, 118, 155, 167 कुल रकबा 9.88 है० वाके ग्राम फूलीपुरा मे से 2.14 है० का करवाया जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय की पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या 161 पृष्ठ संख्या 166 क्रम संख्या 202003501101659 पर दिनांक 2-09-2020 को पंजीबद्ध हुआ। इस प्रकार प्रार्थीगण उपरवर्णित भूमि के खरीद खातेदार काश्तकार होते है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या-1 ने विरासत का नामान्तरण नामान्तरण संख्या 676 दिनांक 05/08/2021 को खुलवा लिया जो विधि विरुद्ध है। ग्राम गुनाठू के खसरा न० 182 रकबा 3.29 है० मे से 1/3 हिस्सा नारायण का था उसका विरासत का नामान्तरण खोला जाना चाहिये था। जबकि नामान्तरण सम्पुर्ण नारायण के 1/3 हिस्से रकबा 3.62 है० का गलत रूप से नारायण

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अभिभाषक संघ, सीकर

के खसरा वारिसान के नाम खोला गया जो नामान्तरण संख्या 676 दिनांक 5/8/21 निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार विरासत नामान्तरण संख्या 676 जो गलत रूप से खोला गया उसका अनुचित लाभ लेने की गर्ज से परसाराम ने पवनी पुत्री नारायण का 1/24 हिस्सा, सुमित्रा पुत्री नारायण का 1/24 हिस्सा जो खसरा न० 118, 115, 167 व 37 का था को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोद जिला सीकर की पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या 176 पृष्ठ संख्या 4 क्रमांक 202103501101963 पर दिनांक 16-08-2021 को पंजीबद्ध करवा लिया। इस प्रकार अप्रार्थीगण सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने, बेचान करने पर आमादा है। अगर ऐसा होता प्रार्थीगण के हक व अधिकारों पर विपरित असर पड़ेगा इसमे इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया का मामला सुदृढ़ है सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का पक्ष भी वादीगण के पक्ष मे होने से अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना प्रार्थनीय है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत जवाब आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया की उक्त सम्पदा नारायण को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राप्त हुई इसलिए नारायण को प्राप्त सम्पदा स्वअर्जित की श्रेणी मे नही आती है। इस प्रकार उत्तरदाता गण मे अप्रार्थी संख्या 1, 7 व 8 रिकॉर्ड खातेदार है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 37, 118, 155 व 167 वाके ग्राम पूर्णपुरा तथा खसरा न० 182 वाके ग्राम गुनाडू तहसील खोद मे अवस्थित है। जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है जो किशनाराम से गणपत को विरासतन प्राप्त हुई। व गणपत की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान क्रमश: नारायण रामेश्वर व मोहन को प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया का मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे सुदृढ़ है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है इसीप्रकार अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। इसलिए न्यायालय की राय मे दौरान दावा/मूलवाद के निस्तारण

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
धन्नालाल बनाम परसाराम
प्रा०पत्र 92/2021

तक उक्त विवादित आराजियात के स्थायी निषेधाज्ञा से उभयपक्ष को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित समझता है।

अत: विवादित कृषि भूमि खसरा न 37, 118, 115 व 167 वाके ग्राम पूर्णपुरा एवं खसरा न 182 वाके ग्राम गुनाडू तहसील खोद मे उभयपक्ष को दौरान दावा/मूलवाद के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा से राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 25/6/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर